# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

## पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | आरसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 33/2021 | 2021/195 | 07.07.2021 | 13.06.2022 |

**उनवान प्रकरण**

नाथी देवी पत्नि बालूराम आयु 75 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम सकराय (चीपलाटा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

अप्रार्थी

**उपस्थित :–**

श्री अनिल यादव एड0 – प्रार्थीया की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

### –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1962 रकबा 0.50 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से की प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2016 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 1433/भू.अ./2016 दिनांक 01.06.2016 एंव पूर्व आदेश कमांक 5 दिनांक 06.11.2015 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested

13/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। पड़ौसी खातेदारान् प्रार्थीया को अनायास ही हैरान परेशान करते रहते है एंव सीमा चिन्हों को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जो काफी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने सुनने समझाने से मान नहीं रही है। इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1150/भू. अ./2022 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा भूमि के मौके पर खाली होने तथा मौके पर किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदि नहीं होने बाबत अवगत कराते हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1962 रकबा 0.50 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से की प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2016 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 1433/भू.अ./2016 दिनांक 01.06.2016 एंव पूर्व आदेश क्रमांक 5 दिनांक 06.11.2015 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। पड़ौसी खातेदारान् प्रार्थीया को अनायास ही हैरान परेशान करते रहते है एंव सीमा चिन्हों को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जो काफी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

13/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चूकी है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1962 रकबा 0.50 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से की प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2016 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 1433/भू. अ./2016 दिनांक 01.06.2016 एंव पूर्व आदेश कमांक 5 दिनांक 06.11.2015 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। उक्त विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

**उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा** प्रकरण में पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 14.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.50 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 90[illegible]यान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल [illegible]0/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान [illegible] पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 14.06.2016 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक व[illegible]न भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

11/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested